



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2010/पौष 28, 1931

No. 95]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2010/PAUSA 28, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

का.आ. 109(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को उसके तत्स्थानी स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग जिसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, को उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्यांक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और उसके विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

सारणी

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
129	236	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में महरौली से प्रारंभ होकर अंधेरिया मोड़, छतरपुर टी प्वाइंट से होते हुए हरियाणा राज्य में सरा-8 पर गुड़गांव में समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. रा रा-14012/10/2009-पी एन एन]

एस. एस. गुलिया, जल-सचिव

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और उसकी अनुसूची 11 सितम्बर, 1956 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उक्त अनुसूची में अंतिम बार संशोधन 25 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 548(अ) के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2010

S.O. 109(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in the column (3) of the Table below to be a National Highway as specified in the corresponding column (2) thereof. "

The said highway, now declared to be National Highway, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No.	National Highway No.	Description of National Highway
(1)	(2)	(3)
129	236	The highway starting from Mehrauli connecting Andheria More, Chattarpur T point in the territory of Delhi and terminating at Gurgaon on NH 8 in the State of Haryana.

[F. No. NH-14012/10/2009-P & M]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India on 11th September, 1956 and the said Schedule was last amended *vide* notification number S.O. 548(E), dated the 25th February, 2009.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2010/माघ 13, 1931

No. 194]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2010/MAGHA 13, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

का.आ. 235(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में तदनु रूप प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त तालिका के कॉलम (2) में तदनु रूप प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट खंड का उक्त तालिका के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट सड़क खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है :—

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	सड़क खंड किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
236	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में महरौली-अंधेरिया मोड़ - छतरपुर टी प्वाइंट-दिल्ली/हरियाणा सीमा तक	कि.मी. 0.00 से कि.मी. 7.75 तक

[फा. सं. एनएच-14012/10/2009-पी एंड एम]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2010

S.O. 235(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the following Table, of the section as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway No.	Section	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
236	From Mehrauli-Andheria More- Chattarpur T point- Delhi/ Haryana Border in the State of National Capital Territory of Delhi	From km. 0.00 to km. 7.75

[F. No. NH-14012/10/2009-P & M]

S. S. GULIA, Dy. Secy.